# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, बिजयनगर

राजस्व वाद पत्र सं0 73/2007

श्रीमती फूला पत्नी श्री सुबान जी मेहरात जाति मेहरात निवासी ग्राम चिताड बाडिया जालकी वाला, तहसील रायपुर, जिला पाली हाल नसीराबाद जिला अजमेर।

—— वादी

बनाम

1. बाबू पुत्र श्री सरदारा मेहरात
2. श्रीमती पानी पत्नी श्री बाबू मेहरात
3. नारायण पुत्र श्री सरदारा मेहरात
4. श्रीमती सीता पत्नी श्री बन्ना मेहरात
5. बन्ना पुत्र बाबू मेहरात
6. श्रीमती गंगा पत्नी श्री बन्ना मेहरात
7. महावीर पुत्र श्री बाबू मेहरात
8. श्रीमती नेनी पत्नी श्री महावीर मेहरात
9. रतन पुत्र श्री बाबू जी मेहरात
10. श्रीमती सुन्दर पत्नी श्री रतन मेहरात
11. सुलेमान पुत्र श्री नारायण मेहरात
12. श्रीमती गीता पत्नी श्री सुलेमान मेहरात
    समस्त जाति मेहरात एवं निवासी सरदारा का बाडिया ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
13. श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील बिजयनगर।
14. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

:— निर्णय :—

दिनांक 01.06.2016

वादिया ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 1685 मि. रकबा 0.4856 व 1705 रकबा 0.6475 व 1706 मि. रकबा 0.8094 व 1707 मि. रकबा 0.3641 व 1708 रकबा 0.2833 व 1710 मि. रकबा 0.1619 तथा 1704 मि. रकबा 0.2428 कुल किता 7 रकबा 2.9946 हेक्टेयर भूमियां उसने इनमें खातेदार सर्व श्री भंवर सिकन्दर पिसरान देवी जाति मेहरात निवासी ग्राम चिताड बाडिया जालकी वाला, तहसील रायपुर, जिला पाली से दिनांक 29.03.2005 को खरीद की थी। खरीद दिवस ही विक्रेतागण ने वादिया के नाम बयनामा रूबरू उपपंजीयक बिजयनगर करवाकर कब्जा भूमि भौतिक रूप संभला दिया था जिसमें प्रतिवादी सं0 3 ने उपस्थित होकर गवाही दी है। प्रतिवादीगण दादागिरी से बलपूर्वक वादिया की भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिस बाबत् वादिया ने उन्हें पाबंद करने हेतु उपखण्ड दण्डनायक बिजयनगर के समक्ष परिवाद पेश किया है। विवादित अराजी राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम लगा दी गई है। वादिया विवादित अराजी पर खरीद रोज से काबिज काश्त चली आती है और उसने अब तक इस भूमि से तीन फसलें ले ली है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया को विवादित भूमियों में खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए यह घोषित किया जावे कि प्रतिवादीगण के विवादित अराजी में कोई अधिकारी नहीं है न ही प्रतिवादीगण वादिया को बेदखल करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादिया के विवादित भूमि में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं कार्यवाही बेदखली से निषेध किया जावे तथा वादिया की सम्पूर्ण अराजी का सीमांकन कर पत्थरगढी करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि विवादित भूमि का जालिया द्वितीय में होना स्वीकार है लेकिन श्री देवी द्वारा संयुक्त खातेदारी कर भूमि में से अपने हिस्से की 13 बीघा भूमि ही विक्रय

विक्रय की है। प्रतिवादिया 1 व 3 ने संयुक्त खाते की भूमि होने से बयनामें पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रतिवादी सं0 1 व 3 व इनकी माता अनपढ है इसी का फायदा उठाते हुए सहवन से भंवर व सिकन्दर पिसरान देबी ने बेचाननामे में 13 बीघा के स्थान पर 17 बीघा अंकित करवा दी जबकि भंवर व सिकन्दर [illegible] को कब्जा 13 बीघा का ही संभलाया था प्रतिवादी सं0 3 ने भी 13 बीघा की पुष्टि के लिए गवाह में हस्ताक्षर किये हैं। वाद के शेष सभी कथन झूठे हैं। वादिया साफ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आई है। वादिया ने एक वाद में दो डिक्रीया चाही है, अतः वाद चलने योग्य नहीं है। वादिया ने अन्तर्गत धारा 323, 427, 447, 448 आई.पी.सी. के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई उसमें एफ.आर. लगा दी गई है वादिया ये कार्यवाहियां प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने के लिए कर रही है। वाद में पडौसी खातेदारान के पक्षकार बनाए बिना पत्थरगढी चाही गई और केवल प्रतिवादी सं0 1 व 3 को पक्षकार बनाया है इसलिए वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

प्रतिवादी पत्र प्राप्त होने पर 4 तनकी कायम कर शहादत वादी तलब की गई। प्रतिवादीगण को जिरह एवं गवाह पेश करने के कई अवसर दिये गये लेकिन कोई जिरह नहीं की गई ना ही शहादत प्रतिवादी पेश की गई अतः प्रतिवादीगण के अधिकारी बंद किये गये।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प मु. जालिया द्वितीय पर पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी सं0 2058 से 2061 के खाता सं0 376 की अराजी खसरा न0 1685 मि. व 1705 मि. व 1706 मि. व 1707 मि. व 1708 मि. व 1710 मि. तथा 1704 मि. कुल किता 7 रकबा 18–10–00 बीघा सर्व श्री भंवर, सिकन्दर पिसरान देबी मेहरात की खातेदारी की भूमियां थी। जो बेचान से जरिये नामान्तकरण सं0 3096 दिनांक 12.04.2007 से सम्पूर्ण खाते की अराजियात वादिया की खातेदारी में लगाई गई है। इस प्रकार वादिया विवादित अराजी में साधिकार खातेदार काश्तकार पाई जाती है।

वाद, प्रतिवाद पत्र तथा वादी पक्ष को सुनने तथा पत्रावली अवलोकन पर स्पष्ट हुई स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में कायम तनकियात को निम्न प्रकार तय किया जाता है :–

तनकीयत 1. – आया वादीया मौजा जालिया द्वितीय के खाता सं0 276 के खसरा किता 7 रकबा 2.9946 है। भूमियों में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगणों को किसी प्रकार का वादग्रस्त भूमियों में सरोकर नहीं होने से किसी प्रकार से कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने की आज्ञप्ति का अधिकारी है ?

इसे सिद्ध करने का भार वादिया पर रहा है। उसने इसके लिए ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 के खाता सं0 376 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें वादिया इस सम्पूर्ण अराजी रकबा 18–10–00 बीघा में खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद पत्र में यह स्वीकार किया है कि वादिया ने विवादित भूमियां जो विक्रेता भंवर एवं सिकन्दर की माता सहित संयुक्त खातेदारी की भूमियां थी उनमें से उन्होनें मात्र 13 बीघा भूमि ही वादिया को विक्रय की गई है। वादिया ने 17 बीघा भूमि की गलत रजिस्ट्री करवा ली है। प्रतिवादीगण के कथन कपोल कलियत होकर अभिलेख के सर्वथा विपरीत है। विवादित भूमियां विक्रेता भंवर एवं सिकन्दर की तन्हा खातेदारी में थी। उनके द्वारा विक्रय करने पर वादिया के खाते लगी। वादिया साधिकार विवादित भूमियों में खातेदार हैं। वह इस तनकी अनुसार घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। तनकी बहक वादिया तय विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

तनकीयत 2. – आया वादी की वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी हेतु प्रतिवादी 13, 14 को आदेशित कराने की अधिकारी है ?

इसका भार वादी पर रहा है। तनकी संख्या 1 तय किये जाने पर वादिया विवादित अराजी में साधिकार खातेदार पाई गई है ऐसी स्थिति में वह अपने खेतों की पत्थरगढी करवाने की अधिकारिणी है भले ही उसने प्रतिवाद पत्र के कथनानुसार पडौसी काश्तकारान को पक्षकार नहीं बनाया हो। तनकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकीयत 3. – आया कि प्रतिवादी 1 से 12 अपने प्रतिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद निरस्त कराने के अधिकारी हैं ?

इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं0 1 से 12 पर रहा है। उन्होने इसकी साबिति के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है यही नहीं उन्होने अपने प्रतिवाद पत्र कथनों की पुष्टि के लिए न तो वादी पक्ष के गवाहान से मुख्य परीक्षण किया है और ना ही अपनी शहादत से यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि उनके प्रतिवाद कथन सही है। प्रतिवादीगण तनकी साबित करने से कासिर रहे हैं अतः तनकी विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादिया तय की जाती है।

तनकीयत 4. – अनुतोष ?

वादिया अपने वाद पत्र अपेक्षित अनुतोष प्राप्ति की अधिकारिणी है अतः वाद वादिया आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि वादिया मौजा जालिया द्वितीय स्थित खसरा न0 1685 मि. रकबा 0.4856 व 1705 रकबा 0.6475 व 1706 मि. रकबा 0.8094 व 1707 मि. रकबा 0.3641 व 1708 रकबा 0.2833 व 1710 मि. रकबा 0.1619 तथा 1704 मि. रकबा 0.2428 कुल किता 7 रकबा 2.9946 में खातेदार काश्तकार है जिसमें बुवाई करने देने से रोकने के प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है और ना ही प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमियों से कोई लेना–देना है। उन्हें वादिया को बेदखल करने के अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण को वादिया के विवादित अराजी में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं रोक–टोक आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाता है। तहसीलदार बिजयनगर को रु. 2000/– कमीशन पर मौका कमीशनर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर वादिया की सम्पूर्ण विवादित अराजी का सीमांकन कर पत्थरगढी कराना सुनिश्चित करावें।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम जालिया द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.01 16:06:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: